न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /एफ०टी०सी०–प्रथम, सिद्धार्थनगर।

प्रकीर्ण फौ० वाद संख्या–२६५/२०२१

निर्भय नरायण सिंह–––––**बनाम**––––––शिव बालक

मु०अ०सं०–२१६/२०१९

धारा–१३८(१) बी विद्युत अधिनियम,

थाना–मोहाना,

जनपद–सिद्धार्थनगर।

दिनांक–१०–०७–२०२१

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पुकार करायी गयी। विद्युत विभाग के विशेष अधिवक्ता श्री विनोद कुमार चौधरी उपस्थित आये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त शिव बालक के विरुद्ध मु०अ०सं०–२१६/२०१९, अन्तर्गत धारा–१३८(१)बी विद्युत अधिनियम, थाना–मोहाना, जिला– सिद्धार्थनगर में पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म साबित न होने के आधार पर अंतिम आख्या दिनांकित–१८–०१–२०२० न्यायालय में प्रेषित किया गया। प्रस्तुत अन्तिम आख्या के संदर्भ में वादी मुकदमा को नोटिस जारी किया गया, जिस पर वादी मुकदमा श्री निर्भय नरायण सिंह, निरीक्षक सी०ओ० आफिस, गोरखपुर दिनांक–०१–०७–२०२१ को न्यायालय में उपस्थित आये तथा प्रस्तुत अंतिम आख्या न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने में वादी मुकदमा द्वारा कोई आपत्ति न होने के आशय का पृष्टांकन किया गया। वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष इस आशय का बयान भी अंकित कराया गया कि सम्बन्धित प्रकरण में विवेचक द्वारा की गई विवेचना से वह पूर्णतया संतुष्ट हैं तथा विद्युत विभाग द्वारा

अभियुक्त के विरुद्ध सम्बन्धित प्रकरण में कोई भी कार्यवाही शेष नहीं है एवं सम्बन्धित प्रकरण में प्रेषित अंतिम आख्या को न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने में वादी मुकदमा को कोई आपत्ति नहीं है।

ऐसी दशा में मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

सम्बन्धित प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ०टी०सी०–प्रथम, सिद्धार्थनगर।